



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभारी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व 5,000 रू० के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु०अ०सं०- 562/2010 धारा- 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भानूप्रताप पुत्र पंचमलाल नि० बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह का कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार सिंह



विवेचक-
उ०नि० सन्तराम



पैरोकार- थाना बिवार
का० प्रेम सिंह